

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	58321.59	34746.58	93068.17	59321.59	30886.58	90208.17	62992.81	32964.00	95956.81	
	पूंजी	5625.00	...	5625.00	7825.00	...	7825.00	7163.44	...	7163.44	
	जोड़	63946.59	34746.58	98693.17	67146.59	30886.58	98033.17	70156.25	32964.00	103120.25	
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान:											
आयोजना-भिन्न अनुदान											
1.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	34394.08	34394.08	...	29894.08	29894.08	...	32639.00	32639.00
2.	स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए सहायता	3601	...	27.50	27.50	...	27.50	27.50
3.	अरुणाचल प्रदेश सरकार को एकमुश्त अनुदान	3601	100.00	100.00
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम:											
आयोजना-भिन्न ऋण											
5.	अर्थापय अग्रिम										
5.01	अदायगियां	7601	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
5.02	घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
	निवल	
6.	ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना										
6.01	राज्य सरकारों के बट्टे-खाते डाले गए ऋण	2075	...	5500.00	5500.00	...	5500.00	5500.00	...	100.00	100.00
6.02	घटाइए-निवल प्राप्तियां	0075	...	-5500.00	-5500.00	...	-5500.00	-5500.00	...	-100.00	-100.00
	निवल	
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण:											
7.	राष्ट्रीय निवेश फंड का स्थानांतरण (एनआईएफ)	3601	4832.00	...	4832.00	7732.00	...	7732.00
7.1	राष्ट्रीय निवेश फंड (एनआईएफ) से प्राप्त राशि										
7.1.01	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम)	3601	-1922.00	...	-1922.00	-3076.00	...	-3076.00
7.1.02	एसिलिएरटेड इरीगेशन बेनीफिट प्रोग्राम(एआईबीपी)	3601	-2910.00	...	-2910.00	-4656.00	...	-4656.00
	निवल	
8.	एकमुश्त अनुदान	3601	58021.59	...	58021.59	59321.59	...	59321.59	62992.81	...	62992.81
9.	एकमुश्त ऋण	7601	5625.00	...	5625.00	7825.00	...	7825.00	7163.44	...	7163.44
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत											
10.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में अंशदान (एनडीआरएफ) घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार आदि	2245	...	2500.00	2500.00	...	3700.00	3700.00	...	3560.00	3560.00
	0021	...	-2500.00	-2500.00	...	-3160.00	-3160.00	...	-3560.00	-3560.00	
	निवल		540.00	540.00	
11.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में अंशदान (एनडीएएफ) घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	2245	...	2500.00	2500.00	...	3160.00	3160.00	...	3560.00	3560.00
	8235	...	-2500.00	-2500.00	...	-3160.00	-3160.00	...	-3560.00	-3560.00	
	निवल		
कुल जोड़		63946.59	34746.58	98693.17	67146.59	30886.58	98033.17	70156.25	32964.00	103120.25	

सं.35/ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

ग. आयोजना परियोजना	विकास शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
		बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
		(करोड़ रुपए)									
राज्य आयोजनाएं											
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	19110.61	...	19110.61	18045.04	...	18045.04	21728.00	...	21728.00
2.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	7500.00	...	7500.00	12146.76	...	12146.76	9551.25	...	9551.25
3.	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	1550.00	...	1550.00	2450.00	...	2450.00	1000.00	...	1000.00
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	272.00	...	272.00	272.00	...	272.00	272.00	...	272.00
5.	विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	43601	635.00	...	635.00	635.00	...	635.00	635.00	...	635.00
6.	विशेष योजना सहायता	43601	4602.00	...	4602.00	9438.00	...	9438.00	4500.00	...	4500.00
7.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	43601	9700.00	...	9700.00	9700.00	...	9700.00	11500.00	...	11500.00
8.	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम/ (एपीडीआरपी)	43601	350.00	...	350.00	156.06	...	156.06
9.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	43601	5109.24	...	5109.24	5109.24	...	5109.24	5710.00	...	5710.00
10.	किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	43601	162.77	...	162.77	49.55	...	49.55
11.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कारवाई योजना (एनईजीएपी)	43601	469.37	...	469.37	169.37	...	169.37	190.00	...	190.00
12.	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य संघटक	43601	1130.00	...	1130.00	1130.00	...	1130.00	2250.00	...	2250.00
13.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)		11618.62	...	11618.62	6332.99	...	6332.99	11619.00	...	11619.00
	(क) शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन और उप-मिशन (एसएमबीएसजी)	43601	5117.26	...	5117.26	3776.50	...	3776.50	5912.92	...	5912.92
	(ख) लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	43601	3073.56	...	3073.56	484.89	...	484.89	1500.00	...	1500.00
	(ग) शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप-मिशन (एसएमबीएसजी)	43601	2168.94	...	2168.94	1234.47	...	1234.47	2000.00	...	2000.00
	(घ) एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसजीपी)	43601	1108.86	...	1108.86	777.13	...	777.13	1006.08	...	1006.08
	(ङ) राजीव आवास योजना (आएवाई)	43601	150.00	...	150.00	60.00	...	60.00	1200.00	...	1200.00
14.	सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	43601	336.98	...	336.98	336.98	...	336.98
15.	बृहन मुम्बई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (त्रिमस्टोवा) मुम्बई	43601	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	0.50	...	0.50
16.	2005-06 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण	43601	315.60	...	315.60
17.	चेन्नई में डीसालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00	0.50	...	0.50
18.	वन क्षेत्र की बहाली और पुनःरोपण के त्वरित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	500.00	...	500.00	200.00	...	200.00
19.	बैंक रहित ब्लाकों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अवसंरचना सहायता हेतु	43601	100.00	...	100.00	10.00	...	10.00
20.	बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	1200.00	...	1200.00
जोड़			63946.59	...	63946.59	67146.59	...	67146.59	70156.25	...	70156.25

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए एकमुश्त अनुदान, राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय विपत्ति प्रयुत्तर निधि (एनडीआरपी) जिसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) के नाम से जाना जाता था, से सहायता हेतु प्रावधान शामिल हैं।

मांग के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं, एसपीए, एससीए पर्वतीय क्षेत्र पश्चिमी घाट सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि आदि के लिए निधियों का प्रावधान किया गया है।

एनएसएपी के अंतर्गत नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम को नया नाम अर्थात् इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम दिया गया था जो 19.11.2007 से प्रभावी हुआ। नई स्कीम के अंतर्गत पात्रता के मानदंड सभी 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। इसके पात्रता मानदंड में संशोधन किए जाने से एनओपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 86 लाख से बढ़ कर 159 लाख हो गयी है। एनएसएपी के अन्तर्गत इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्कीम (आईजीएनओपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजाब्लूडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (एनईजीएपी) स्कीम 2004-05 में अनुमोदित हुई थी। ऋणों सहित राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के

लिए एसीए मुहैया कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है। एआईबीपीके अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के नाम पर एक नई स्कीम आरंभ की जा रही है।

इसके अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम के संघटकों के लिए अर्थात् शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन संबंधी सब-मिशन, लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवओं पर सब-मिशन, एकीकृत आवासन एवं मलिन बस्ती विकास तथा राजीव आवास योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

योजना में बृहन मुम्बई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (ब्रिमस्टोवा), मुम्बई के और चेन्नई में डीसालिनेशन प्लांट के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में अन्तरण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के एक भाग के वित्त पोषण हेतु इस्तेमाल की गई विनिवेश प्राप्तियों से संबंधित हैं जो पूंजीगत प्राप्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता के रूप में है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों तथा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार को केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के हिस्से के एवज में अनुदान के अंतरण के द्योतक भी हैं।